



लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ, उ०प्र०-226007

Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या : / सम्बद्धता / 2018

दिनांक :

ई-मेल / रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट / व्यक्तिगत

कार्यालय-ज्ञाप

प्रबन्धक / सचिव,
आई.टी. कालेज,
फैजाबाद रोड, लखनऊ।

महोदय,

सूच्य है कि आई.टी. कालेज, लखनऊ की प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के सम्बन्ध में महाविद्यालय के प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों के परीक्षण के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या : एएफ-24/2017, दिनांक : 02.01.2018, संख्या : एएफ-3787/2017, दिनांक 06.02.2018 एवं संख्या : एएफ-7424/2018, दिनांक 24.03.2018 के विभिन्न पत्रों के माध्यम से महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के अनुमोदन पत्र मांगे गये थे जिसके परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.03.2018 द्वारा आख्या/अन्य प्रमाण पत्र संलग्न कर उपलब्ध कराये गये हैं किन्तु महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया अनुमोदन पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 2(13) एवं लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम 13.05 के प्रावधानानुसार किसी सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय से होना चाहिए। यह भी सूच्य है कि प्रबन्ध समिति अनुमोदित होने सम्बन्धी प्रक्रिया/अनुमोदन पत्र कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट होता है कि आपके स्तर से इस हेतु वांछित कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः इस सम्बन्ध में महाविद्यालय को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि प्रबन्ध समिति विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित है तो अनुमोदन पत्र की सत्यापित छायाप्रति विश्वविद्यालय को इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा दिया जाय अन्यथा यह सिद्ध मान लिया जायेगा कि महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है और विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम के प्रावधानानुसार अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

भवदीय

(प्रो० आर०के० सिंह)

: कुलसचिव

संख्या : AF-8683-86

दिनांक : 11/4/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल०वि०।
3. परीक्षा नियंत्रक, ल०वि०।
4. ईचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल०वि० को इस आशय से प्रेषित कि आई.टी. कालेज, लखनऊ को ई-मेल से प्रेषित करने एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
5. गार्ड फाईल।

कुलसचिव